अध्याय – प्रथम

प्रस्तावना

अध्याय - प्रथम

प्रस्तावना

बाल विकास की प्रारंभिक अवस्था में दी जाने वाली शिक्षा को प्रारंभिक बाल शिक्षा (ई.सी.ई.) कहते हैं। यह शिक्षा बच्चों को औपचारिक प्राथमिक शिक्षा के पूर्व प्रदान की जाती है। इसलिए इसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी कहा जाता है।

किसी राष्ट्र की उन्नति उस राष्ट्र के लोगों का सामाजिक स्वास्थ्य व शिक्षा पर निर्भर होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जीवन की शुरूआत के प्रथम 6 साल में बच्चों के विकास की दर सर्वाधिक होती है। शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए और बच्चों के सर्वागीण विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बाल शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। तब से लेकर आज तक प्रारंभिक बाल देखभाल शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) के क्षेत्र में सरकारी और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा अनेक ई.सी.सी.ई. के केन्द्र खोले व शुरू किए गए है।

बच्चों के विकास कार्यक्रमों व योजनाओं के क्रम में सर्वप्रथम 1953 में केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई। इसकी योजना के तहत शहरी क्षेत्र में, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में, ऐच्छिक संस्थान आगे आई तथा ग्रामीण क्षेत्र में "महिला मण्डल तथा बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यक्रम शुरू हुआ"। इसके पश्चात 1974 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई जिसके फलस्वरूप 1975 में समेकित बाल विकास सेवा योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत बच्चों के विकास तथा शिक्षा के कार्यक्रमों का निर्धारण हुआ और प्रारंभिक बाल शिक्षा का विकास हुआ।

निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चों के लिए गुणात्मक पूर्व प्राथमिक शिक्षा अत्यंत जरूरी है। जो उन्हें अच्छा वातावरण व अनुभव प्रदान कर सकें। मध्यम व उच्च स्तर के लोगों में कुटुम्ब विभाजन का प्रश्न यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है और कामकाजी महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है। ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बन चुकी है।

उच्च गुणवत्ता युक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों को आगे के जीवन के लिए तैयार करती है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा किये गये एक संशोधन के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रभाव से प्राथमिक शिक्षा में नामांकन व ठहराव बढ़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-92 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में खेल पद्धति द्वारा शिक्षा को महत्व दिया गया है और बच्चों को इस अवस्था में लेखन, वाचन व गणित सिखाना मुनासिब नहीं माना है।

यशपाल कमेंटी ने भी पूर्व प्राथमिक अवस्था मे थ्री आर. (वाचन, लेखन, गणित) सिखाने को मुनासिब नहीं माना है। इस अवस्था में बच्चों के लिए प्रवेश परीक्षा व साक्षात्कार पद्धति को बंद करने पर भार दिया है। पिछले कुछ वर्षों के दरम्यान ई.सी.ई. क्षेत्र में संख्यात्मक वृद्धि देखी गई है। शहरी क्षेत्र में नर्सरी विद्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्र में भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में जागृति आई है। कई राज्यों में बालवाड़ी व आंगनवाड़ी बच्चों के विकास के लिए कार्यरत है।

1.1 पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य

शैक्षिक विकास में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालक को अनौपचारिक वातावरण से औपचारिक वातावरण में प्रवेश करने में मदद करती है।

आज के परिवेश में माता-पिता दोनों काम करने घर से बाहर जाते हैं, इस कारण वह बच्चों पर ध्यान नही दे पाते हैं, इसलिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, नर्सरी स्कूल ऐसे स्थान है। जहां बच्चों को घर जैसा माहौल दिया जाता है। ये बच्चों की भौतिक व मानसिक आवश्यकता को पूर्ण करते हैं।

सामान्य उद्देश्य

पूर्व प्राथमिक शिक्षा पढ़ने व लिखने की तैयारी, ज्ञानात्मक, भाषा और अन्य शारीरिक कौशल, सामाजिक विकास आदि कराती है। यह प्राथमिक विद्यालय में अच्छे समायोजन करने के लिए तैयार करती है ताकि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को पाया जा सके।

शिक्षा आयोग द्वारा वृहद सामान्य उद्देश्य इस प्रकार है :-

- बच्चों में मौलिक गत्यात्मक कौशल, मांसपेशीय समन्वय व शारीरिक आचरण का विकास करना।
- व्यक्तिगत समायोजन जैसे (पहनना, खाना, धोना, साफ करना) के लिए अच्छी स्वास्थ्य आदत व मूलभूत कौशलों को विकसित करना।
- उचित सामाजिक अभिव्यक्ति व आचरण व स्वस्थ समूह सहभागिता की आदत का विकास व दूसरों के अधिकार के प्रति संवेदनशील बनाना।
- सौन्दर्यात्मक प्रत्यक्षीकरण को प्रोत्साहित करना।
- विश्व को समझने में सहायता देना और बौद्धिक जिज्ञासा को उत्प्रेरित करना।

- ➢ देखने, जांचने व प्रयोग के अवसर देकर नई रूचियों को बढ़ावा देना।
- ➢ बच्चे में स्वयं के विचारों को प्रस्तुत करना व बोलने की योग्यता को विकसित करना।

यूनेस्को द्वारा एक रिपोर्ट "दी वर्ल्ड सर्वे आफ प्री-स्कूल एज्यूकेशन" जिससे सामाजिक, शैक्षिक, विकासात्मक लक्ष्यों को बच्चों की देखभाल के ऊपर जोर दिया गया है। उसके अनुसार निम्नलिखित लक्ष्य हैं :-

- ➢ सकारात्मक आत्म प्रत्यय का विकास करना।
- ➢ वैयक्तिक स्तर पर बच्चे की क्षमता का विकास करना।
- ➢ समाज के उपयोगी सदस्य बनने के लिए अवसर प्रदान करना तथा अनुकूलता व सहयोगी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना।

विशिष्ट उद्देश्य :-

1. सामाजिक व संवेगात्मक विकास

- ○ सुरक्षा की भावना का विकास करना
- ○ सामूहिक गतिविधियों में सहभागिता का विकास करना।
- ○ उचित व्यक्तिगत व सामाजिक आदतों का विकास करना।
- ○ व्यवहार को नियंत्रित करने की योग्यता का विकास करना।
- ○ सकारात्मक आत्म प्रत्यय का विकास करना।

2. शारीरिक व गत्यात्मक विकास

- ○ शारीरिक वृद्धि के रख-रखाव की आदते विकसित करना।
- ○ मांसपेशीय समन्वय का विकास करना।

3. भाषा विकास

- ○ सुनने के कौशल का विकास करना।
- ○ शाब्दिक कौशल का विकास करना।
- ○ शब्दावली का विकास करना।

4. ज्ञानात्मक विकास

- ○ संकल्पना के प्रारूपों में मदद करना जैसे आकार, रंग, जगह, समय, घर, वातावरण।
- ○ समस्या, समाधान, वर्गीकरण व व्यवस्थित विचारधारा के कौशलों का विकास करना।

1.2 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता

गांधीजी ने सत्य ही कहा है कि बच्चा जो कुछ जीवन के प्रथम पांच वर्ष में सीखता है, परवर्ती जीवन में कभी नहीं सीखता। शिशु की शिक्षा उसके गर्भाधान से ही प्रारंभ होती है। वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहलाती है वास्तव में यह शिक्षा जन्म से ही आरंभ होना चाहिए किन्तु 2 वर्ष की आयु तक बच्चा अधिक छोटा होने के कारण शिक्षा को आरंभ नहीं किया जा सकता इसलिए 3-6 वर्ष के बच्चों को ही शामिल किया जाता है। इसकी आवश्यकता निम्न बिन्दुओं से समझी जा सकती है:-

- भावी जीवन के लिये तैयारी

  पूर्व प्राथमिक शिक्षा एक तरह से देखा जाए तो भावी जीवन के लिए नींव का कार्य करती है। जिससे बालक शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक व मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लाभान्वित होता है।

- आरंभिक निरीक्षण

  कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, कि वयस्क उम्र के लोग अनेक तरह के विचारों व शारीरिक कुरूपता आदि से ग्रसित हो जाते हैं और ये पाया गया है कि कोई भी रोग तभी नहीं पनपते बल्कि इनकी शुरूआत आरंभिक अवस्था से ही हो जाती है।

- प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयारी

  पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालक को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करती है ताकि जब वह उसमें प्रवेश ले तो किसी भी तरह की कठिनाई महसूस न करें जैसे (वाचन, लेखन, बोलना, गिनना, खेलना, बैठना एक स्थान पर कुछ समय के लिए) एक तरीके से यह बालक को विभिन्न पहलुओं की आदत डलवाती है जो प्राथमिक विद्यालयों में आरंभ होते है।

- बाहरी वातावरण से अनुकूलता

  जब बालक पूर्व प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वहां का बगीचा खिलौने और पर्याप्त खेल सामग्री संतुलित खुराक व स्वास्थ्यप्रद भोजन विद्यालय का अनुशासित दैनिक कार्य अन्य गतिविधियां सब उसे आकर्षित करते है। जिससे वह

खेल खेल में शिक्षा भी ले लेता है। इस वातावरण में रहने के साथ ही उसमें अनुकूलता बढ़ती जाती है और आगे चलकर यह काम आती है।

➢ **कामकाजी महिलाओं को सुविधा**

सार्जेन्ट आयोग (1944) के शब्दों में यह राज्य का कर्तव्य है, कि वह मुक्ति के लिए सजग हो, इसके भावी नागरिकों और उसके जन्मदाताओं दोनों की मुक्ति के लिए उज्जवल सामग्री से पूर्ण और उपर्युक्त अध्यापकों से युक्त नर्सरी स्कूलों की सुविधा उपलब्ध कराकर ताकि बच्चों की उचित देखभाल की जा सके।

1.3 पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व

➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालक के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

➢ पहले छः साल जीवन के क्रिटकिल साल माने जाते हैं। क्योंकि बालक की जिंदगी में इन सालों में विकास बहुत गतिशील होता है। अन्य सालों के विकास की अपेक्षा।

➢ इन सालों में बालकों की अधिक उत्प्रेरक वातावरण की जरूरत है ताकि वे अपनी क्षमताओं का सही दिशा में विकास कर सकें।

➢ वर्तमान में माताएं घर से बाहर कार्य कर रही हैं और पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली टूट रही है, अभिभावकों की अलग तरह की जीवनशैली पनप रही है और शायद बालक इस वातावरण में उत्प्रेरित नहीं हो रहे।

➢ वे बालक जो सुविधाहीन भागों से हैं, जिनके माता-पिता शिक्षित नहीं हैं वे प्रभावी अंर्तक्रिया न तो बच्चे और न ही दूसरों के साथ कर पाते हैं। उन्हें भाषात्मक व ज्ञानात्मक कौशलों में विकसित करना। जिनके पास खिलौने, किताबें, खेल, सुविधा आदि की कमी है। यदि इन्हें इस तरह का वातावरण पहले छः सालों में दिया जाये तो उनका विकास भी प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। विशेषकर उसका बौद्धिक व भाषा विकास नहीं होगा।

➢ बाल शिशु शिक्षा इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। ई.सी.ई. कार्यक्रम बच्चों को उत्प्रेरक अनुभव दे रहा है, ताकि उनका ज्ञानात्मक भाषा, शारीरिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास प्रभावी हो सके।

यह कार्यक्रम बच्चों को मजबूत आधार देने में उनकी सहायता करता है। जिनकी क्षमता का विकास सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं हुआ है।

1.4 विभिन्न आयोगों की अनुशंसाएं

1. सार्जेन्ट कमीशन (1944) आयोग की अनुशंसा

- किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के लिए नर्सरी स्कूलों या कक्षाओं के रूप में पूर्ण प्राथमिक शिक्षा की पर्याप्त सुविधा जुटाना एक अनिवार्य वस्तु है।
- नगर क्षेत्रों में जहां उचित परिधि में पर्याप्त बच्चे उपलब्ध है। पृथक नर्सरी स्कूल अथवा विभाग जुटाए जा सकते हैं। दूसरे स्थानों पर नर्सरी स्कूलों को जूनियर बेसिक (प्राइमरी) स्कूलों के साथ जोड़ देना चाहिए।
- नर्सरी स्कूल और कक्षाओं के लिए महिला अध्यापिकाएं होनी चाहिए, जिन्हें इस काम के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक दशा में निःशुल्क होनी चाहिए, जिस समय उपस्थिति को अनिवार्य बनाना संभव न जान पड़े तब माता पिता को अपने बच्चों को स्वेच्छा से स्कूल भेजने की प्रेरणा देने वाला कोई भी प्रयत्न अछूता नहीं छोड़ना चाहिए। विशेषकर असंतोष या ऐसी स्थिति में जबकि माताएं बाहर काम पर जाने की अभ्यस्त हों।
- इस अवस्था के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्हें बच्चों को औपचारिक शिक्षा के स्थान पर सामाजिक अनुभव देना है।

2. भारतीय शिक्षा आयोग (1966) आयोग की अनुशंसा

- पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों के शारीरिक भावात्मक और बौद्धिक विकास के लिए बड़े महत्त्व की है। विशेषकर उन बच्चों के लिए जिनकी पृष्ठभूमि असंतोषजनक है। सन 1986 तक पूर्ण स्कूली कक्षाओं में 8.5 वयोवर्ग में 50 और 5-6 वयोवर्ग में 50 नामांकन एक उचित लक्ष्य होगा।
- आगामी 20 वर्षों के पूर्व प्राथमिक शिक्षा को निम्नलिखित मार्गों पर उन्नति करनी चाहिए।
- प्रत्येक जिले में और शिक्षा के प्रत्येक राज्य संस्थानों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास देखभाल और पथ पदर्शन के लिए प्रत्येक राज्य शिक्षा संस्थान व जिले में एक एक पूर्व प्राथमिक शिक्षा विकास केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए।

- गैर सरकारी उद्यम को पूर्व प्राथमिक केन्द्र खोलने और चलाने के लिए अधिक जिम्मेंदार बना देना चाहिए, जबकि राज्य समानता के आधार पर उन्हें सहायता अनुदान हें।
- राज्य को चाहिए कि वह राज्य और जिला स्तर पर खेलकूद के केन्द्र स्थापित करे। पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करे, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के शोध साहित्य के निर्माण की देखभाल करे। पूर्व प्राथमिक और प्रशिक्षण संस्थाओं की देखभाल करे और उनको मार्ग सुझाए। गैर सरकारी संस्थाओं को सहायतार्थ अनुदान दे तथा आदर्श प्राथमिक स्कूल चलाए।
- पूर्व प्राथमिक स्कूलों को कार्यक्रम लचकदार होना चाहिए और इसमें विभिन्न प्रकार के खेल, श्रम संबंधी, तथा ज्ञान संबंधी गतिविधियों के साथ ही ज्ञानेन्द्रियों से संबंधित शिक्षा शामिल होनी चाहिए।
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं की बीच ताल मेंल बनाये रखना चाहिए।

3. श्रीमति स्वामीनाथन समिति (1972) आयोग की अनुशंसा

- पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो भी प्रयास हो रहा है उसका समन्वय होना चाहिए।
- अर्धकालीन कर्मचारियों तथा स्थानीय शिक्षित महिलाओं को इस काम पर लगाना चाहिए।
- ऐसे कर्मचारियों को संक्षिप्त अवधि की ट्रेनिंग देनी चाहिए।

1.5 एकीकृत बाल विकास परियोजना (आई.सी.डी.एस.)

बच्चों एवं महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिये भारत शासन के सहयोग से प्रदेश में वर्ष 1975-76 से समेकित बाल विकास परियोजनायें प्रारंभ की गई हैं।

वर्तमान में प्रदेश में 220 समेकित बाल विकास परियोजनायें संचालित हैं। इन परियोजनाओं की 26753 आगनवाड़ियों के माध्यम से 39.11 लाख 0.6 वर्ष की उम्र के बच्चों, गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। 130 परियोजनाओं में केयर द्वारा 32 परियोजनाओ में विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा 29 बाल विकास परियोजनाओं में केन्द्र शासन के द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष 29 परियोजनाओ में खाद्यान्न की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की जा रही है।

समेकित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी के माध्यम से हितग्राहियों को निम्न सेवाये प्रदान की जाती है :-

1. पूरक पोषण आहार
2. टीकाकरण,
3. स्वास्थ्य जांच
4. स्वास्थ्य एवं पोषण आहार शिक्षा,
5. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा
6. केन्द्र की सुविधाएं

ये समस्त सेवाये आंगनवाड़ी स्तर पर प्रदान की जाती हैं। सेवाओं को प्रदान करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योकि वह प्रतिमाह आंगनवाड़ी क्षेत्र के हितग्राहियों का सर्वे करती है तथा सूची तैयार करती है इसी सूची के आधार पर हितग्राहियों को उपरोक्त विभिन्न सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका अनिवार्य रूप से उसी गांव की होना चाहिये ताकि वह जन सहयोग प्राप्त कर उपरोक्त सेवाओं को हितग्राहियों को ठीक से प्रदान कर सके।

1.6 एकीकृत बाल विकास सेवायें, योजना क्यों ?

- देश के मानवीय साधनों के विकास के लिए।
- शैशव-अवस्था में ही शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास की नींव रखने के लिए।
- शिशु मृत्यु दर, शारीरिक विकलांगता, पाठशालाओं में स्थिरता तथा कम विकसित क्षमता से उत्पन्न होने वाले अपव्यय में कमी करने के लिए।
- बाल विकास के क्षेत्र में आत्म विश्वास तथा सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए।

1.7 एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के उद्देश्य

एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य हैं :-

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

- 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की पौष्टिकता तथा स्वास्थ्य को बढ़ाना।
- बच्चों की सही मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव डालना।
- बच्चों की मृत्यु दर, कुपोषण तथा पाठशाला को छोड़ने की प्रकृति को कम करना।

- बाल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति तथा कार्यान्वयन में प्रभावशाली समन्वय स्थापित करना

उपरोक्त कार्यक्रम में मुख्य 6 संघटक सेवायें निम्नानुसार हैं :-

- पूरक पोषण आहार
- स्वास्थ्य जांच
- प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल
- टीकाकरण
- पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा
- स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा
- केन्द्र में सुविधाएं

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आंगनवाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, पूरक पोषाहार की व्यवस्था करना, महिलाओं को पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा देना कार्यक्रम चलाने के लिए समुदाय का सहयोग प्राप्त करके उन्हें कार्यक्रम में शामिल करना, आई.सी.डी.एस. के स्वास्थ संबंधी कार्यों में सहयोग देना प्राथमिक उपचार, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जैसे पंचायत, महिला मण्डल, स्कूल अध्यापक आदि के द्वारा कार्यक्रमों में सहयोग प्राप्त किया जाता है। इन सभी कार्यों को आंगनवाड़ी में किया जाता है। इससे समुदाय को अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तथा ये बालकों की उचित स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठाते हैं। इसके द्वारा बालकों की विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। जो विद्यालय में प्रवेश लेने पर आने वाली कठिनाइयों को दूर करती है।

1.8 आंगनवाड़ी

आंगनवाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी मलिन एवं श्रमिक बस्तियों में खोली जाती है। एक आंगनवाड़ी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्रति हजार जनसंख्या पर व आदिवासी क्षेत्रों में 700 जनसंख्या पर होती है कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 1000 रूपये मानदेय दिया जाता है तथा सहायिका को 500 रूपये प्रतिमाह।

भौतिक सुविधाएं

आंगनवाड़ी को संचालित करने के लिए मानदेय किराये पर भवन की व्यवस्था की जाती है। जो कि सरकार द्वारा वहन किया जाता है। आंगनवाड़ी में निम्नलिखित सुविधाएं होनी चाहिए।

गेंद, रंग, कैंची, एक अलमारी, कुर्सी, मेंज, दरी, राष्ट्रीय झंडा, घड़ा, प्राथमिक उपचार सामग्री, स्वास्थ्य कार्ड चार्ट, बाथरूम खिलौने स्थायी सामग्री आदि।

आंगनवाड़ी की देख-रेख

क्षेत्र से ही संबंधित महिला जो हायर सेकेण्डरी हो उसे आंगनवाड़ी केन्द्र के संचालन के लिए चयनित की जाती है। आंगनवाड़ी केन्द्र सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कार्य करता है। 3 - 6 वर्ष के बीच की उम्र के बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए यहां आते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यकर्ता उनके घरों पर जाकर मिलते हैं जहां गर्भवती महिलाएं हैं, तथा उन्हें विभिन्न जानकारी बताते हैं।

आंगनवाड़ी दैनिक गतिविधियां

सामान्य गतिविधियां जो एक आंगनवाड़ी बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए करती है, प्रतिदिन बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देगें। यदि बच्च्वा स्वच्छ नहीं तो उसे साफ करेंगे।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था ताकि बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके **आई.सी.डी.एस.** के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा के निम्न उद्देश्य हैं :-

- बच्चों में उचित शारीरिक व मांसपेशी समन्वय का विकास करना।
- बच्चों में सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, पहलकरने एवं उत्सुकता का विकास करना।
- बच्चों में उपलब्ध क्षमता व शक्ति को सही व्यवहार व कार्यो के प्रति झुकाव तथा मानवीय मूल्यों का विकास करना।
- बच्चों को अपनी भावनाओं को अपनी भाषा में व्यक्त करने की योग्यता का विकास करना।

इन उद्देश्यों के आधार पर निम्न क्रियाकलॉप होने चाहिए :-

- खेल
- कहानी
- गीत गाना
- पक्षी, जानवर, पौधे एवं अन्य प्राकृतिक चीजों के चार्ट

- कला चित्रकारी, मिट्टी के मॉडल, कागज के खिलौनें, मोतीओं के खेंल, विभिन्न रंग व आकार की वस्तुओं को क्रमबद्ध करना,
- वार्तालाप
- ब्लॉक के खेंल

खिलौनें व अन्य चीजें स्थानीय लोगों की सहायता से बनवाकर या बच्चों को प्रोत्साहित कर इन खिलौनों को एकत्र करवाया जा सकता है। बच्चों को अवसर देना तथा खेलने का स्वतंत्र रूप से क्रियाकलॉप करने के साथ ही उन्हें सुरक्षित माहौल देना।

भ्रमण व अभिलेख

उन घरों में जहां गर्भवती महिलाएं हैं उनसे मिलना व सहायता करना गंभीर माताओं व बच्चों को अस्पताल को भेजना। कार्यकर्ता द्वारा विशिष्ट अभिलेखों का रख रखाव किया जाना ।

टीकाकरण

बाल विकास परियोजना अधिकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से मिलकर टीकाकरण की तारीखें निश्चित करता है। कार्यकर्ता व बच्चों व माताओं की एक सूची बनाता है। जिन्हें पूरे टीके नहीं लगे। तारीख निश्चित होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों व गर्भवती माताओं को केन्द्र पर ले जाते हैं व टीकाकरण करवाते हैं। प्रत्येक का व्यक्तिगत रूप से अभिलेख रखा जाता है।

नवजात शिशु का हर माह वजन व उसका अभिवृत्ति चार्ट बनाना। आयरन की गोलियां विटामिन की गोलियां बच्चों व माताओं को देना।

आंगनवाडी के कार्य

आंगनवाडी के कार्य निम्नलिखित हैं :-

- 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की संख्या का पता लगाना।
- जन्म व मृत्यु के आंकड़े इकट्ठे करना।
- अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना ।
- पोषण स्वास्थ्य शिक्षा देना।
- टीका लगाने संबंधी जानकारी देना।
- कुपोषित बालकों को चुनना पूरक पोषक आहार के लिए।
- उन सभी बालकों को चुनना जिन्हें टीका नहीं लगा है।

- इन कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्हें विभिन्न स्तरों पर सम्पर्क बनाकर रखना।
- स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क रखकर इसके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को समुदाय तक पहुचाना
- बालकों के सृजनात्मक विकास के संबंध में कार्यक्रमों का निर्माण करना जैसे (कहानियां, गीत, रंग ज्ञान)
- बच्चों में भाषा का विकास करना।
- बच्चों का शारीरिक विकास करना।
- मानवीय मूल्यों का विकास करना (सहयोग, धैर्य, सत्यवादिता, साहस)

1.9 अध्ययन की उपयोगिता

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता अब समस्त विश्व द्वारा मानी जा रही है। 6 वर्ष की उम्र में बालक में सामाजिक आदतें व स्वयं के विकास बहुत महत्वपूर्ण है ये वर्ष बच्चें को बहुत प्रभावित करते है । इन दिनों में चल रहा विकास बाद में आगे के विकास का आधार माना जाता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान में जो अध्ययन है, उसमें समाज का ध्यान बच्चों के उन प्रभावी वर्षो की आवश्यकता के ऊपर दिलाया है ।

प्रारंभिक वर्ष में बालक का वह समय है जब वह बिना किसी रूकावट व बाह्य नियंत्रण के होता है। यदि उसे पूर्व प्राथमिक विद्यालय द्वारा अनुभव प्रदान किये जाते है, तो उसके सृजनात्मक स्तर व समस्या समाधान की क्षमता को और विकसित किया जा सकता है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा योजना (1986) और प्रोग्राम ऑफ एक्शन (1992) ने ई.सी.सी.ई को महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

वृहद स्तर पर समस्त देशों में कार्यक्रम चलाये जा रहे है, ताकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सकें। इसी श्रृंखला में सरकारी संस्थाएं चल रही है । ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रो में आंगनवाड़ी कार्यक्रम को चलाया जा रहा है जिससे 6 वर्ष तक के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त हो सके। पूर्व प्राथमिक देखभाल व शिक्षा बालक के आगे के वर्षो के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाये जा रहे आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों को पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा,

अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। इस कार्यक्रम के लिए आई.सी.डी.एस. के कुछ मानदण्ड निर्धारित किये है।

शोधकर्ता द्वारा इन्हीं आंगनवाड़ियों के कार्यक्रमों का अध्ययन किया जा रहा है। इस संदर्भ में सीमित अध्ययन हुआ है। अतः इस शोध की महत्ता अधिक है। शोधकर्ता यह जानना चाहती है कि जो मानदण्ड आई.सी.डी.एस. ने आंगनवाड़ियों ने बनाये है क्या वे उसी के अनुरूप अपना कार्य कर पा रहे है या नहीं। उनके पास सुविधाएं है या नहीं इन सभी घटको को देखने के लिए यह अध्ययन किया गया है।

1.10 समस्या कथन

"पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यक्रम का अध्ययन"

इस अध्ययन में होशंगाबाद जिले की 20 आंगनवाड़ियों को लिया गया है। जिसमें चल रहे कार्यक्रम में पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं भौतिक, शैक्षिक, खेलनें, प्राथमिक उपचार संबंधी सुविधाओं का अध्ययन किया गया है।

1.11 शोध समस्या में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या

पूर्व प्राथमिक शिक्षा

3-6 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चों के लिए शिक्षा ताकि प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए तैयार तथा तत्पर हो सके।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनवाड़ियां हैं।

आंगनवाड़ी

समेकित बाल विकास के अंतर्गत बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कार्यक्रम को आंगनवाड़ी कहते हैं। इसमें बच्चों को ऐसा वातावरण दिया जाता है जिससे वह प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो जाए।

1.12 शोध के उद्देश्य

1. होशंगाबाद जिले में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आंगनवाड़ी की भौतिक संरचना व सुविधाओं का अध्ययन करना।
2. आंगनवाड़ी में दी जा रही अनौपचारिक शिक्षा का अध्ययन करना।
3. आंगनवाड़ी में दिये जा रहे पोषक आहार व स्वास्थ्य जांच का अध्ययन करना।
4. आंगनवाड़ी में बच्चों के विकास के लिए कराये जा रहे क्रियाकलापों का अध्ययन करना।
5. आंगनवाड़ी की शैक्षिक प्रविधि तथा शैक्षिक क्रियाकलॉप का अध्ययन करना।

1.13 शोध कार्य की परिसीमाएं

- यह अध्ययन होशंगाबाद जिले की 20 आंगनवाड़ियों तक ही सीमित है।
- शोध अध्ययन हेतु आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं के लिये प्रश्नावली, अवलोकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, को शामिल किया गया।

Regional Institute of Education
LIBRARY
Bhopal